आदेश की क्रम–संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी,तारिख सहित 3
30/9/16	**आदेश** ऑगनवाड़ी अपील वाद संख्या– 105/15–16 रेखा देवी बनाम् रूदो देवी व अन्य का मामला जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बांका के आदेश ज्ञापांक–835 दिनांक–16.09.2014 के विरूद्व दायर किया गया है। वस्तुतः अपील उप–निदेशक, कल्याण, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर के न्यायालय में दायर किया गया था जिसे सचिव समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक–3226 दिनांक–11.08.2015 से प्राप्त निदेश के आलोक में जिला पदाधिकारी, बांका के न्यायालय में स्थानान्तरित किया गया जिसे पंजीकृत कर सुनवाई की गई। यह विवादित मामला परियोजना बौंसी के पंचायत दलिया अंतर्गत वार्ड नं0–11 में आंगनवाड़ी सेविका के चयन से संबंधित है तथा वर्त्तमान में इस केन्द्र पर रूदो देवी सेविका में कार्यरत है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बांका के आदेश से यह स्पष्ट होता है कि उक्त केन्द्र पर आंगनवाड़ी सेविका में रेखा देवी का चयन किया गया था तथा इनके चयन को चुनौती जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बांका के समक्ष रूदो देवी द्वारा किया गया तथा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बांका के विनिश्चय के आलोक में रेखा देवी के चयन को निरस्त कर रूदो देवी के चयन का आदेश दिया गया जिससे विक्षुब्ध होकर रेखा देवी द्वारा अपील लाया गया है। मामले के संबंध में अन्य दावेदार स्वीटी कुमारी भी है तथा इनके द्वारा अपीलार्थी के रूप में अपना दावा दाखिल किया गया है। निर्धारित तिथि पर रेखा देवी, रूदो देवी व स्वीटी कुमारी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता को सविस्तार सुना गया। रेखा देवी की ओर से यह कहा गया कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बांका द्वारा उनके चयन को निरस्त किया गया है जो न्यायोचित नहीं है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बांका द्वारा मार्गदर्शिका–2011 के आलोक में विचार नहीं किया गया। यदि विचार किया जाता तो रूदो देवी का दावा स्वीकार योग्य नहीं था। तथ्य यह है कि चयन के लिए रूदो देवी द्वारा जाली शैक्षणिक प्रमाण–पत्र समर्पित किया था तथा आम–सभा में ग्रामीणों द्वारा इसपर आपत्ति की गई। रूदो देवी द्वारा अपने शैक्षणिक प्रमाण–पत्र व जन्म तिथि के संबंध में गलत जानकारी दी गई है जो विचारण का मुख्य विन्दु है। इस प्रकार रूदो देवी द्वारा गलत तथ्यों को प्रस्तुत कर वस्तुतः तथ्यों को छिपाया गया है फलस्वरूप जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बांका का आदेश भी बरकरार रहने योग्य नहीं है। उपर्युक्त तथ्यों व तर्को को प्रस्तुत करते हुए रेखा देवी की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बांका के आदेश को निरस्त करने तथा अपने चयन का दावा किया गया। अपीलार्थी स्वीटी कुमारी की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तथ्य रखा गया कि उक्त केन्द्र पर सेविका पद हेतु आवेदिका है। आंगनवाड़ी केन्द्र की बाहुल्यता अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की है जिसमें कि मेघा–सूची में प्रथम स्थान पर स्वीटी कुमारी तथा द्वितीय स्थान पर रूदो देवी है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बौंसी द्वारा बाहुल्य वर्ग अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की आवेदिका रहते हुए पिछड़ा वर्ग की आवेदिका रेखा कुमारी, पति– मनोज यादव का चयन दिनांक–29.01.2013 को किया	

गया था। प्रथम स्थान पर रहने के बावजूद बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बौंसी द्वारा यह विचार नहीं किया गया कि अभ्यर्थी (स्वीटी कुमारी) की मां संबंधित जिले में सरकारी सेवा में नियोजित शिक्षिका रहने के कारण स्वीटी कुमारी के चयन पर कोई विचार नहीं किया और पिछड़ा वर्ग की आवेदिका रेखा कुमारी का चयन कर लिया गया था। अपीलार्थी स्वीटी कुमारी अपने माँ के यहॉ निवास ना कर अपने पति व सास–ससुर के पास रहती है। ससुराल में कोई भी रिश्तेदार सरकारी या अर्द्धसरकारी सेवा में नहीं है परन्तु उनके दावा पर विचार ना कर चयन हेतु अयोग्य किया गया तथा पिछड़ा वर्ग की रेखा कुमारी का चयन किया गया। इस विवाद के संबंध में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बांका द्वारा रूदो देवी के चयन का आदेश भी उचित नहीं है फलस्वरूप विक्षुब्ध होकर द्वितीय अपील दायर किया है।

उक्त तथ्यों के आलोक में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बांका के आदेश को निरस्त करने एवं दावा पर विचार करने का अनुरोध स्वीटी कुमारी की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा किया गया।

विपक्षी (सेविका) रूदो देवी की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि अपीलार्थी रेखा कुमारी द्वारा लगाया गया आरोप सही नही है तथा अपीलार्थी स्वीटी कुमारी का केश कालवाधा से बाधित है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बांका द्वारा विपक्षी के सभी कागजातों की जांच व विचार कर उनके चयन का आदेश दिया गया। सभी अभ्यर्थियों में उन्हें उपयुक्त पाया गया है। गलत शैक्षणिक प्रमाण–पत्र दाखिल करने का आरोप सही नहीं। कागजातों की जांच पश्चात् हीं रेखा कुमारी के चयन को निरस्त कर रूदो देवी के चयन का आदेश दिया गया जो उचित एवं विधिसम्मत है।

अपीलार्थी के कथन का प्रतिवाद कर विपक्षी रूदो देवी की ओर से जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बांका के आदेश को बरकरार रखने एवं अपील अस्वीकृत करने की प्रार्थना की गई।

दावा व प्रतिदावा के आलोक में अभिलेख का परीक्षण एवं जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बांका द्वारा समर्पित तथ्यात्मक प्रतिवेदन का सूक्ष्म अवलोकन किया गया। सेविका रूदो देवी के संबंध में यह तथ्य अंकित किया गया है कि इनके द्वारा चयन के समय दिये गये आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक प्रमाण–पत्र दिया गया था जिसपर दिनांक–29.01.2013 के आम–सभा में चयन के दौरान ग्रामीणों द्वारा इनके शैक्षणिक प्रमाण–पत्र को गलत बताया गया। फलस्वरूप बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बौंसी द्वारा शपथ–पत्र के साथ अंक पत्र मांगा गया जिसे निर्धारित समय पर जमा नहीं करने के कारण रेखा देवी का चयन दिनांक–09.07.2013 को आम–सभा द्वारा सेविका के लिए किया गया। पश्चात् विक्षुब्ध होकर रूदो देवी द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बांका के न्यायालय में परिवाद दर्ज कर शपथ–पत्र के साथ अंक पत्र दाखिल किया गया जिसके आलोक में रेखा देवी के चयन को निरस्त कर रूदो देवी के चयन का आदेश पारित किया गया है।

इस केन्द्र पर अत्यन्त पिछड़ी जाति की बाहुल्यता है तथा सेविका रूदो देवी अत्यन्त पिछड़ी जाति से आती है। अपीलार्थी रेखा देवी पिछड़ा वर्ग से है। एक अन्य अपीलार्थी के रूप में स्वीटी कुमारी है जो अत्यन्त पिछड़ा वर्ग से संबंधित है।

वस्तुतः मामले के संबंध मे रूदो देवी के द्वारा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बौंसी के कार्यालय में आवेदन के साथ संलग्न शैक्षणिक प्रमाण–पत्र तथा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बांका के समक्ष शपथ–पत्र के माध्यम से दाखिल शैक्षणिक प्रमाण–पत्र को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना

आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः विचारोपरांत जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बांका को आदेश दिया जाता है कि रूदो देवी द्वारा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बौंसी के कार्यालय में दिये गये आवेदन के साथ संलग्न शैक्षणिक प्रमाण–पत्र तथा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बांका के न्यायालय में प्रस्तुत शपथ–पत्र व अंक पत्र को शीघ्र समर्पित करे ताकि सुनवाई पश्चात् गुण–दोष की जांच कर मामले में अंतिम निर्णय लिया जा सके। साथ ही दोनो कार्यालय में रूदो देवी द्वारा प्रस्तुत अंक पत्र का कराया गया सत्यापन प्रतिवेदन भी इस न्यायालय को विचारार्थ उपलब्ध कराया जायेगा। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बांका अचूक अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिवेदन के साथ अभिलेख पुनः सुनवाई हेतु दिनांक– 10/3/17 को उपस्थापित करे।

लेखापित
30.9.16
जिला पदाधिकारी,
बांका।

30.9.16
जिला पदाधिकारी,
बांका।